

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C) के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र



सत्र 2019-20

आरटीई अन्तर्गत पूर्व से प्रवेशित छात्र इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन सत्र 2019-20 हेतु पात्र नहीं है, यदि आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा

**A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी केपीटल लेटर में भरे**

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी
2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी
3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर

**B. प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र, राशन पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, बीपीएल पर्ची के अनुसार) केपीटल लेटर में भरे**

- a) जिला.....
- b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम .....
- c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक ..... ग्राम/वार्ड.....
- d) मोहल्ला/बसाहट.....
- e) मकान एवं.....पता.....
- f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
- g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
- h) ईमेल (यदि हो तो) .....

**C. जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता, पिता, अभिभावक की जानकारी English केपीटल लेटर में भरे**

- 1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
- 2) उपनाम (Surname)
- 3) जन्म तिथि DD/MM/YYYY दिनांक  माह  वर्ष
- 4) लिंग:- बालक / बालिका
- 5) पिता का नाम ..... माता का नाम .....
- 6) जाति- (सामान्य-GEN/अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC/ अनुसूचित जाति-SC/ अनुसूचित जनजाति-ST) -----

**D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:-**  श्रेणी का कोड दर्ज करें :- 1. वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्ड धारी परिवार (अन्तोदय कार्ड धारी) 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जन जाति 4. विमुक्त जाति 5. वनग्राम पट्टाधारी 6. विकलांग (CWSN) 7. महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

a) उपरोक्त श्रेणियों (उपरोक्त सरल क्रमांक 7,8 को छोड़कर) के संबन्ध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण

- (i) क्रमांक..... दिनांक  माह  वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पद नाम -----

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकलागता का प्रतिशत %   विकलागता का प्रकार-----

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक   माह   वर्ष

E. प्रवेश हेतु कक्षा - नर्सरी/ केजी-1/ केजी -2/पहली(1) -----

F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार है:-

| स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक | चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS-----) | प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें) | स्कूल का पता |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 1                           | 2                                   | 3   | 4            |
| 1                           |                                     |   |              |
| 2                           |                                     |   |              |
| 3                           |                                     |   |              |
| 4                           |                                     |   |              |
| 5                           |                                     |   |              |
| 6                           |                                     |   |              |
| 7                           |                                     |   |              |
| 8                           |                                     |   |              |
| 9                           |                                     |   |              |
| 10                          |                                     |   |              |

नोट: ऑनलाइन लाटरी मे प्रथम प्राथमिकता ग्राम/वार्ड के बच्चों को होगी, द्वितीय प्राथमिकता पड़ोस के बच्चों को होगी एवं अंतिम चयन विस्तारित पड़ोस से किया जायेगा। अतः अपने ग्राम/वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता क्रम से दर्ज किया जाना उचित होगा

### माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी व स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही है। मुझे जानकारी है कि अगर एक से अधिक आवेदन किये जाते हैं तो सभी आवेदन स्वतः कैंसिल हो जावेंगे। आवेदक का नाम, जन्म दिनांक, समग्र, आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र अनुसार ही सही दर्ज की गयी है। आवेदन करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर पर आवेदन स्वतः रद्द हो जावेगा। प्रवेश हेतु निवास, कोटा से सम्बंधित निर्धारित दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करने पर सत्यापन नहीं होगा। सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। लाटरी में यदि स्कूल का आवंटन होता है तो समय सीमा में स्कूल में प्रवेश नहीं लेने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं जिम्मेदारी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक .....

हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम-----

## आवश्यक सूचना-

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती अपने पास सुरक्षित रखे।
2. आनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से पावती एवं सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाये एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने ग्राम के निकटस्थ Govt. हाई स्कूल/हायरसेकेन्डरी स्कूल जहां पर जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर सत्यापन केन्द्र में सत्यापन कराना अनिवार्य है।
4. आवेदन में सुनिश्चित कर लें कि आधार,समग्र अनुसार ही बच्चों की स्पेलिंग दर्ज की गयी हो
5. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समयावधि में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
6. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी, आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजो से मिलान न होने की स्थिति मे आवेदन अमान्य हो जायेगा।
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।